भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जून, 2014

संख्या का०आ० 70/ह०आ० 6/2003/धा० 57/2014.—चूंकि हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 57 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 983ईटी-4-2013/714, दिनांक प्रथम अप्रैल, 2013 के अधिक्रमण में, हरियाणा सरकार इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अध्यक्ष सहित तीन या अधिक विषम संख्या के सदस्यों को शामिल करते हुए, हरियाणा कर अधिकरण के नाम से ज्ञात अधिकरण का गठन करती है, जिसे राज्य सरकार उक्त अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिकरण को सौंपे गए अथवा प्रदान किए गए ऐसे कृत्यों का पालन करने तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए नियुक्त करे;

और चूंकि, अध्यक्ष तथा सदस्यों की योग्यताएं हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 57 में विहित की गई हैं;

इसलिए, अब, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा कर अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु नीचे दी गई प्रक्रिया अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :—

1. एक अन्वेषण समिति होगी जिसमें मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता के अधीन तीन सदस्य होंगे। अन्य सदस्यों में माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग होंगे। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग इस समिति का पदेन संयोजक होगा।

2. जब भी हरियाणा कर अधिकरण में कोई रिक्ति भरी जानी है, तो प्रैस नोट जारी किया जाएगा और उसे www.haryanatax.com पर सूचना अनुभाग में अपलोड भी किया जाएगा।

3. अन्वेषण समिति उन सभी नामों पर जो इसके ध्यान में आते हैं या किसी व्यक्ति द्वारा या किसी आकांक्षी द्वारा इसे अग्रेषित किए जाते हैं, पर विचार करेगी। अन्वेषण समिति, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 57 में वर्णित योग्यताओं के दृष्टिगत रिक्ति/रिक्तियों की संख्या के तीन गुना के समकक्ष उपयुक्त उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी।

4. अन्वेषण समिति की रिपोर्ट, वर्णानुक्रम (उम्मीदवारों के नाम के पहले अक्षर को विचारते हुए) में सही रूप से तैयार की जाएगी तथा सभी सम्बन्धित सामग्री और उम्मीदवारों की सम्बन्धित योग्यताओं सहित, नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के नाम (नामों) के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के सम्मुख रखा जाएगा।

5. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग का कार्यालय या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान द्वारा नियत कोई अन्य कार्यालय/नियुक्त अधिकारी अन्वेषण समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करेगा।

हरदीप कुमार,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।